KAWACH

SAFE CHILDHOODS FOR A THRIVING INDIA

सुरक्षित बच्चे, समृद्ध भारत

'ROSA'

स्वयं सहायता समूह (SHG एवं बाल संरक्षण

द्वारा

रोसा संस्थान जनपद बलरामपुर

प्रस्तावना

स्वयं सहायता समूह केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम नहीं है बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी सशक्त जरिया है। जब महिलाएँ संगठित होकर किसी मुद्दे पर चर्चा करती हैं तो उसका असर पूरे परिवार और समुदाय पर पड़ता है। बाल संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

भारत में बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, यौन शोषण और शिक्षा से वंचित रहना जैसी समस्याएँ बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर रही हैं। कानून बनने के बावजूद यदि समाज सजग नहीं है तो इन समस्याओं पर अंकुश लगाना कठिन है।

स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ यदि बाल संरक्षण के मुद्दों को अपनी बैठकों में शामिल करें तो यह न केवल बच्चों की सुरक्षा बल्कि पूरे समाज के विकास की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा बच्चों के अधिकारों पर चर्चा, जागरूकता फैलाना, और किसी भी घटना की रिपोर्टिंग करना बहुत आवश्यक है।

इसी उद्देश्य से यह प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है ताकि स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, यौन शोषण और शिक्षा से जुड़े कानूनों, प्रक्रियाओं और रिपोर्टिंग व्यवस्था के बारे में सरल भाषा में समझ सकें और समाज में बाल संरक्षण की मिसाल कायम कर सकें।

बाल संरक्षण क्या है–

बच्चों को हर प्रकार की हिंसा, शोषण, तस्करी और गलत परंपराओं से बचाना ही बाल संरक्षण है।

बाल संरक्षण के पहलू–

1 बाल विवाह

- **परिभाषा** – लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम एवं लड़कों की शादी 21 वर्ष से कम आयु में बाल विवाह कहलाता है।
- **कानून** – *बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006* (Prohibition of Child Marriage Act, 2006)।
- **सजा** – बाल विवाह कराने वालों पर 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माना।
- **रोकथाम** – SHG सदस्य गाँव में बाल विवाह की सूचना तुरंत दें।
- **रिपोर्टिंग** – 1098 (चाइल्डलाइन), CWPC, पुलिस 112।

2 बाल श्रम

- **परिभाषा** – 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से किसी भी प्रकार का काम कराना अपराध है।
- **कानून** – *बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986*, संशोधित 2016।
- **सजा** – बच्चे से काम कराने पर 6 महीने से 2 साल तक की सजा और जुर्माना।
- **रोकथाम** – SHG महिलाएँ दुकानों, खेतों, फैक्ट्री आदि में काम करने वाले बच्चों की पहचान करें।
- **रिपोर्टिंग** – श्रम विभाग, CWPC, 1098।

3 बाल तस्करी

- **परिभाषा** – बच्चों को जबरन मजदूरी, विवाह, अंग-व्यापार या शोषण के लिए बेचना या ले जाना।
- **सजा** – कठोर कारावास (10 साल से आजीवन)।
- **रिपोर्टिंग** – SHG सदस्य तुरंत 1098 या पुलिस को सूचना दें।

4 यौन शोषण

- **परिभाषा** – किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न या शोषण।
- **कानून** – *POCSO Act, 2012* (Protection of Children from Sexual Offences Act)।
- **सजा** – कठोर कारावास (3 साल से आजीवन)।
- **रोकथाम** – बच्चों को सुरक्षित स्थान, शिक्षा और जागरूकता।
- **रिपोर्टिंग** – पुलिस (112), चाइल्डलाइन (1098), CWPC।

5 शिक्षा का अधिकार (Right to Education)

- **परिभाषा** – हर बच्चे (6–14 वर्ष) को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
- **कानून** – *शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE)*।
- **रिपोर्टिंग** – स्कूल न जाने वाले बच्चों की सूची CWPC/शिक्षा विभाग को दें।

SHG की भूमिका

1. मासिक बैठक में बाल संरक्षण पर चर्चा।
2. गाँव में बच्चों की स्थिति की निगरानी।
3. संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति को देना।
4. बाल विवाह रोकने में सक्रिय भूमिका।
5. हेल्पलाइन नंबर का प्रचार।

स्वंय सहायता समूह की बैठक मे किये जाने वाले कार्य

क्रमांक	गतिविधि	जिम्मेदारी	रिपोर्टिंग संस्था
1	SHG बैठक में बाल संरक्षण पर चर्चा	SHG अध्यक्ष/सदस्य	CWPC / DCPU
2	बाल विवाह की सूचना देना	सभी सदस्य	1098 / पुलिस 112
3	बाल श्रम की पहचान व रोकथाम	SHG व समुदाय	श्रम विभाग / CWPC
4	स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की पहचान	SHG महिलाएँ	शिक्षा विभाग / CWPC
5	यौन शोषण की रिपोर्टिंग	समुदाय + SHG	पुलिस / 1098 / CWPC
6	जागरूकता अभियान	SHG + पंचायत	CWPC / DCPU

स्वंय सहायता समूह कैसे कार्य करेगा–

समस्या की पहचान
↓
SHG बैठक में चर्चा
↓
CWPC / DCPU को सूचना
↓
पुलिस / 1098 / 112 की मदद

समाधान और बच्चे की सुरक्षा

प्रश्न-उत्तर

प्रश्न 1: बाल विवाह की न्यूनतम आयु क्या है?
उत्तर: लड़की - 18 वर्ष, लड़का - 21 वर्ष।

प्रश्न 2: बाल श्रम निषेध अधिनियम कब बना?
उत्तर: 1986 (संशोधन 2016)।

प्रश्न 3: बाल तस्करी की रिपोर्ट कहाँ करें?
उत्तर: 1098 या पुलिस 112।

प्रश्न 4: POCSO Act किससे संबंधित है?
उत्तर: बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा।

प्रश्न 5: शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ?
उत्तर: 2009।

प्रश्न 6: SHG का बाल संरक्षण में क्या योगदान है?
उत्तर: जागरूकता, निगरानी और रिपोर्टिंग।

प्रश्न 7: CWPC क्या है?
उत्तर: Child Welfare Protection Committee (ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समिति)।

प्रश्न 8: चाइल्डलाइन नंबर क्या है?
उत्तर: 1098।

प्रश्न 9: यौन शोषण की स्थिति में पहला कदम क्या होगा?
उत्तर: तुरंत पुलिस/1098 को सूचना।

प्रश्न 10: SHG बैठक में बच्चों के मुद्दे क्यों जरूरी हैं?
उत्तर: क्योंकि इससे पूरा समाज बच्चों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील बनता है।

सारांश

स्वयं सहायता समूह और बाल संरक्षण एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। महिलाएँ यदि सजग हों और बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएँ तो बाल विवाह, श्रम, तस्करी और शोषण को रोका जा सकता है। हर बैठक में बाल संरक्षण पर चर्चा करना और किसी भी समस्या की रिपोर्ट करना सबसे अहम कदम है।

कवच परियोजना

KAWACH

SAFE CHILDHOODS FOR A THRIVING INDIA

सुरक्षित बच्चे, समृद्ध भारत

मानव सेवा में समार्पित एक सामाजिक संस्था

'ROSA' SANSTHAN

Rural Organization for Social Advancement

पंजीकृत कार्यालय ककरमत्ता (निकट आर्दश बाल विद्यालय रोजा कालोनी)
पोस्ट–बी0एल0डब्लू जनपद–वाराणसी–221004
सम्पर्क नम्बर–9450156972
Email- rosasansthan@gmail.com,Web- www.rosanow.org